बिहार सरकार

समाहरणालय, जहानाबाद।

ई–मेल–dm-jehanabad.bih@nic.in वेबसाइट–jehanabad.bih.nic.in दूरभाष / फैक्स–06114–223142

पत्रांकः– 1178 / (जिला खनन शाखा) दिनांकः– 23/11/22

प्रेषित,

श्री आलोक कुमार,
पिता– श्री जय सिंह,
ग्राम–विर्रा, पो०– धवल विगहा,
थाना– हुलासगंज, जिला– जहानाबाद।
मो०– 9771012101, Email- kalok7134@gmai.com

विषय :– **जहानाबाद जिलान्तर्गत धाब नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या– 15 की आगामी पांच वर्षो के लिए बंदोबस्ती हेतु दिनांक 17.10.2022 को सम्पन्न ई–नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक जहानाबाद जिलान्तर्गत **धाब नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या– 15 की आगामी पांच वर्षो के लिए बंदोबस्ती हेतु दिनांक 17.10.2022 को सम्पन्न ई–नीलामी में आपके द्वारा मो0–** 60,48,000.00 (साठ लाख अड़तालीस हजार रूपया) के विरूद्ध उच्चतम डाक की राशि मो0– 66,52,800.00 (छयासठ लाख बावन हजार आठ सौ रूपया) बोली के उपरांत उच्चतम डाकवक्ता घोषित हुए है। निविदा दस्तावेज की कंडिका–20(i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि के 25 प्रतिशत (अग्रधन राशि समायोजनोपरांत) प्रतिभूति राशि मो0– 1,51,200.00 (एक लाख इक्यावन हजार दो सौ रूपया) के भुगतान के साक्ष्य दिनांक 22.10.2022 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका–20(i)(ii)(iii)(iv)(v)के आलोक में जहानाबाद जिलान्तर्गत **धाब नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या– 15** का सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निम्न शर्तो एवं बंधेज के साथ दिया जाता है:–

1. **धाब नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या– 15 विवरणी निम्नवत है:–**

क्रं0 स0	नदी का नाम	रकवा (हे० में)	बालूघाट नाम	ID	Geo-Coordinates	
1	धाब बालूघाट/ब्लॉक संख्या– 15	**6.72**	**JEHANABAD DHAB-1**	1	25.06646171	84.88346841
				2	25.06642519	84.88320086
				3	25.06720123	84.88320639
				4	25.06796055	84.88301
				5	25.06891902	84.88196555
				6	25.0690832	84.88223808
				7	25.06903526	84.88232437
				8	25.06856811	84.88287395
				9	25.06800659	84.88333891
				10	25.06755412	84.88349044
				11	25.06693453	84.88340073
				12	25.06661088	84.8834876
				13	25.06646171	84.88346841
			JEHANABAD DHAB-1-1	1	25.07207851	84.87922142
				2	25.07164916	84.87927101
				3	25.07127379	84.87914765
				4	25.07120594	84.87921543
				5	25.07094179	84.87923583
				6	25.07087701	84.8791469
				7	25.07112888	84.87890746

RP

	8	25.07148572	84.87896602
	9	25.07180866	84.87900104
	10	25.07196906	84.87905555
	11	25.07207851	84.87922142
JEHANABAD DHAB-2-0	1	25.08631741	84.88076821
	2	25.08571804	84.88077984
	3	25.0857083	84.88073166
	4	25.08585554	84.88070671
	5	25.08651098	84.88016844
	6	25.08723485	84.87850293
	7	25.08774511	84.87781648
	8	25.08856699	84.8774636
	9	25.08872208	84.87741695
	10	25.08871024	84.87760174
	11	25.08761871	84.87844275
	12	25.08725557	84.87894173
	13	25.08712638	84.87931308
	14	25.08709189	84.8798426
	15	25.08693994	84.88016971
	16	25.08641266	84.88072896
	17	25.08631741	84.88076821
JEHANABAD DHAB-2-1	1	25.09008208	84.87482133
	2	25.08997947	84.87457125
	3	25.08999576	84.87449211
	4	25.09064857	84.87405583
	5	25.09078005	84.87403689
	6	25.09080099	84.87458783
	7	25.09074591	84.87457349
	8	25.09024398	84.87469558
	9	25.09022076	84.87476
	10	25.09008208	84.87482133
JEHANABAD DHAB-2-2	1	25.09142174	84.87400842
	2	25.09165624	84.87405756
	3	25.09195812	84.87427499
	4	25.09221493	84.87454574
	5	25.09237021	84.87508114
	6	25.09241494	84.87550292
	7	25.09258981	84.87590176
	8	25.09280836	84.87609503
	9	25.09338554	84.87615313
	10	25.09382048	84.87607355
	11	25.09503544	84.8749596
	12	25.09564157	84.87398104
	13	25.09585566	84.87319215
	14	25.09566254	84.87262465
	15	25.09524535	84.87233701
	16	25.09464851	84.8720883
	17	25.09437125	84.8718891
	18	25.09426236	84.87163648
	19	25.09431927	84.87116155
	20	25.09456627	84.87080948
	21	25.09497473	84.87044435
	22	25.09540758	84.87029329

RP

						84.87056551
				23	25.09537134	84.87100412
				24	25.09476613	84.87151046
				25	25.09452423	84.87173481
				26	25.09458645	84.87195439
				27	25.09478503	84.87201589
				28	25.094933	84.87209116
				29	25.09538754	84.87223719
				30	25.09573477	84.87254546
				31	25.09597655	84.87299379
				32	25.09605573	84.87407528
				33	25.09584821	84.8743952
				34	25.09569177	84.8751445
				35	25.09518126	84.87556765
				36	25.0946386	84.87646192
				37	25.09368032	84.87658018
				38	25.09339769	84.87612539
				39	25.09246096	84.87534911
				40	25.09221028	84.87490243
				41	25.09183259	84.87459766
				42	25.09142875	84.8746066
				43	25.09137223	84.87434369
				44	25.09136417	84.87400842
				45	25.09142174	
2	वन क्षेत्र से दूरी	**18 KM से 20 KM**				
3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं है।				
4	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की नहीं है।				
5	पुरातात्विक स्थल की दूरी	**18 KM से 20 KM**				
6	खनन योग्य मात्रा	80640 घनमीटर				

1. भुगतान की शर्तेः—
   (i) नीलामी—राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत् वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत् के बराबर होगी।
   (ii) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :—

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादनसे पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	06 महीना पूरा होने से पहले।

प्रत्येक समानुदान वर्ष में बंदोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तो की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबंधित समाहर्त्ता, जहानाबाद के समक्ष जमा की जायेगी। यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधारी असफल होता है तो आगे ई—चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद ही खोला जाएगा एवं इसके लिए किसी तरह के क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

2. **GST का भुगतान** :—बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन् कार्यालय जहानाबाद में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।

3. **आयकर/अन्य करों का भुगतानः**—बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन् कार्यालय, जहानाबाद द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।

4. **जिला खनिज फाउन्डेशनः**—Bihar Mineral District Foundation Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन जहानाबाद के नाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम अनुसार करना होगा।

5. **वैधानिक अनापत्तिः**—बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति (जैसेः— खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापत्ति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन किए जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार हैः—

   i. **खनन योजनाः**—खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर LOI निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर संबंधित खनिज निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्त्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।

   ii. **पर्यावरणीय स्वीकृतिः**—सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वंय जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

   iii. **जल एवं वायु सहमतिः**—पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

   iv. **खनन के लिए अनुमत मात्राः**—खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति मे वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।

   v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते है या प्राप्त करने में रूचि नहीं लेते है तो, समाहर्त्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्रवाई की जाएगी।

6. **बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करनाः**—

   i. सफल डाकवक्ताद्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र. कार्य आरंभ करने के पहले.

निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पॉच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।

ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित **संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर** कराना अनिवार्य होगा।

7. सामान्य शर्त्तें :–

(i) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(ii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।

(iii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड़) का निर्माण बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।

(iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोस्तधारी की होगी।

(v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होगे और पायी गई किसी भी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरूद्ध आपराधिक मामला दायर किया जाएगा।

(vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्त्ता द्वारा बालूघाटों का संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बधनों और शर्त्तो तथा निदेशों का पालन करेगा।

(vii) यथोक्त शर्त्तो बंधेजों एवं निर्बधनों का पालन नहीं करने पर कारण पूच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

(viii) बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नही करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर बंदोबस्तधारी द्वारा बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ–साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

(ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार समाहर्त्ता, जहानाबाद/जिला खनन कार्यालय, जहानाबाद का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/ अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा। बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images मानसून के पूर्व एवं बाद का समाहर्त्ता, जहानाबाद एवं जिला खनन कार्यालय, जहानाबाद को समर्पित करना होगा।

(x) बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो खनिज समानुदान धारक जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।

(xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xiii) ई–नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।

(xiv) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तीधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निदेश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/11/22

समाहर्त्ता,
जहानाबाद।